

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

विषय: उ०प्र० अग्निशमन सेवा के संयुक्त निदेशक की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-123-92/11, दिनांक 23.01.2017 द्वारा निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने स्तर से निर्गत की गयी।

2- अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक की समेकित अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-689/छ-पु०-8-16-801(77)/77, दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी जिसमें सारभूत विंसगतिया पाये जाने के कारण शासन के आदेश दिनांक 09.01.2017 के क्रम में पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-123-92/11, दिनांक 23.01.2017 द्वारा निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने स्तर से प्रख्यापित की गयी। उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28.3.2016 व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23.01.2017 में कतिपय कमियों पाये जाने के कारण उक्त दोनो सूची को निरस्त करते हुये पृथक-पृथक संवर्गवार संयुक्त निदेशक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-1666/छ-पु०-8-18-801(77)/2010टी०सी० दिनांक 11.09.2018 को निर्गत करते हुए आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया था। पुनः कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14.09.2018 से आपत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 28.09.2018 तक का समय बढ़ाया गया। रिट याचिका संख्या-24724(एस०बी०)/2016, मंगेश कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-2419(एस०बी०)/2014, विवेक कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2018 के समादर में कार्यालय आदेश संख्या-1926/छ:-पु०-8-18-801(77)/2010 टीसी, दिनांक 10.10.2018 द्वारा आपत्तियां दिये जाने हेतु दिनांक 10.10.2018 तक समय बढ़ाया गया।

3. उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984 के स्थान पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली 2016, दिनांक 15.12.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, के नियम-23 में यह उल्लिखित है कि सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

4. प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है:-

पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय अपनी ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा, जो पोषक संवर्ग में थी। सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथा स्थिति लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में दिखाई गयी हों।


5. तदनुसार संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस के पद पर कार्यरत अधिकारियों से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 पर प्राप्त आपत्तियों को निम्नवत् निस्तारित किया गया है:-

क्र०	अधिकारी का नाम	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 के संबंध में आपत्तियां	आपत्तियों का निस्तारण
1.	श्री जे०के० सिंह, संयुक्त निदेशक	श्री जे०के० सिंह, संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय के पत्र दिनांक 13.09.2018 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-2 पर अंकित होने का उल्लेख करते हुए ज्येष्ठता को स्वीकार किया गया है, परन्तु निम्न प्रकार से त्रुटि निवारण अपेक्षित है-“भर्ती/नियुक्ति (ज्वाइनिंग तिथि) 04.07.1990 के स्थान पर 07.04.1990 है।”	श्री जे०के० सिंह, संयुक्त निदेशक द्वारा उठायी गयी आपत्ति भर्ती/नियुक्ति (ज्वाइनिंग तिथि) 04.07.1990 के स्थान पर 07.04.1990 है, का संशोधन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते समय कर दिया गया है।
2.	श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक	श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उठायी गयी आपत्ति में जन्मतिथि में अंकित तिथि 06.01.1961 को गलत टंकित होने का उल्लेख है, वास्तविक जन्मतिथि 01 जून, 1961 (01.06.1961) किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक द्वारा जन्मतिथि सम्बन्धी उठायी गयी आपत्ति का निराकरण 06.01.1961 के स्थान पर 01.06.1961 कर दिया गया है।

6. संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.2018 के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए संयुक्त निदेशक की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

क्रम	अधिकारी का नाम (सर्वश्री) गृह जनपद	भर्ती का स्रेत (सीधी भर्ती/प्रोन्नत संवर्ग)	जन्मतिथि	भर्ती/नियुक्ति की तिथि	उप निदेशक, तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत की तिथि	संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	आर०के० सिंह, कानपुर (से०नि०-28.02.17)	सीधी भर्ती/सी०एफ०ओ०	01.03.1957	08.09.1986	24.11.2006	01.01.2014
2	जे०के० सिंह, हरदोई	सीधी भर्ती/सी०एफ०ओ०	13.04.1962	07.04.1990	13.09.2012	01.01.2014
3	अरविन्द कुमार, आजमगढ़	सीधी भर्ती/सी०एफ०ओ०	01.06.1961	23.03.1990	13.09.2012	01.01.2014


7. अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक की समेकित अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या-689/छ-पु0-8-16-801(77)/77, दिनांक 28.03.2016 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी, जिसमें सारभूत विसंगतियां पाये जाने के कारण, उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2016 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए उपरोक्तानुसार संयुक्त निदेशक, अग्निशमन सेवा उ0प्र0 की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुए अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जाती है।


भवदीय,

(भगवान स्वरूप)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस एवं प्रभारी, कम्प्यूटर, गृह नियंत्रण कक्ष को इस आशय से प्रेषित की उक्त ज्येष्ठता सूची को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. गार्ड फाइल।


26/12/18

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।